



छावनी परिषद कार्यालय
कनौट रोड
देवलाही छावनी - 422401
नासिक, महाराष्ट्र
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
फोन : 0253-2491206, फैक्स : 0253-2492599, ई.मेल : ceodent-staff@nic.in



संख्या 3260/बी.एल.डी./ई-4/2.6.2.6

दिनांक 03/11/2022

सेवा में,

श्री धारस राजेश रोहरा,
तर्फे सी. के. चंदनखेडे, 'केशव बंगलो',
हरजीत साइकिल स्टोर के पीछे,
देवलाही कैप।

विषय: पूर्ति प्रमाणपत्र / COMPLETION CERTIFICATE.

प्रिय महोदय,

संदर्भ: आपका प्रमाणपत्र दिनांक 13.10.2022।

02. संसारी, देवलाही छावनी के रेवेन्यू सर्वे संख्या 156/8 पर 2500.00 वर्ग मी. माप वाली आवासीय भवन के निर्माण हेतु भवन नक्शा 1237.18 वर्ग मी. के कुल निर्मित क्षेत्र सहित, छावनी परिषद के संकल्प संख्या 48 दिनांक 31.08.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने टाइप - ए पर पार्किंग + तलमंजिला, स्टिल्ट + पहली मंजिल, स्टिल्ट पहली मंजिल + दूसरी मंजिल, स्टिल्ट दूसरी मंजिल और टाइप - बी पर तलमंजिला और पहली मंजिल पर कुल निर्मित क्षेत्र 1237.18 वर्ग मी. वाले भवन हेतु दिनांक 03/11/2022 को पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु स्वीकृति दी है। संसारी, देवलाही छावनी के रेवेन्यू सर्वे संख्या 156/8 पर उक्त भवन हेतु पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

2. The building plan for construction of residential building on Revenue Survey Number 156/8 of Sansari, Cantonment, admeasuring 2500.00 Sq.Mtrs. had been sanctioned by the Cantonment Board, Deolali vide CBR No. 48 dated 31.08.2018 with total built up area of 1237.18 Sq.Mtrs. The Chief Executive Officer has approved the issuance of the completion certificate on 03.11.2022 for Type - A building on Parking + Ground, Stilt + First Floor, Stilt First Floor + Second Floor & Stilt Second Floor and Type - B building on Ground + First Floor with total built up area 1237.18 Sq.Mtrs. Please find enclosed the Completion Certificate for the said revised Building on Rev. Survey No. 156/8 of Sansari, Deolali Cantonment.

03. इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 116 के तहत आवश्यक कराधान हेतु आपको संपत्ति का करनिर्धारण करने की आवश्यकता है। विफल होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(2) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

3. You are also required to get the property assessed for taxation purposes as required under Section 116 of the Cantonment Act 2006 within 15 days from receipt of this letter. Failing which, action as per Section 82(2) of the Cantonments Act, 2006 will be taken against you.

CEO has approved.

भवदीय / Yours faithfully,



COMPCERT

(यु. व्ही. गोरवाडकर)
प्रशासनिक एवं जनसंपर्क अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
देवलाही छावनी परिषद के लिए

(U V GORWADKAR)
Administrative Officer & PRO,
For Chief Executive Officer
Deolali Cantonment Board

उचित कार्रवाई हेतु।